अपील सूचना अधिकार संख्या 59/2019 (GCMS 2019/00166) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 17.06.2019 से नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2019 के द्वारा कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1 प्रभारी अधिकारी (पंजीयन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 814 दिनांक 29.05.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका की प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्राप्ति से दिनांक 16.06.2019 जो–जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
4. उपरोक्त पत्रांक में श्रीमान के तथ्य कि (जिला पंजीयन अधिकारी), किन्तु आपने यह की पर भी उल्लेख नहीं किया है कि श्री महेन्द्र छाबडा स्टाम्प वेडन्र ने वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर आपके कार्यालय में जमा करवाया है या नही, उपरोक्त तथ्यों का जवाब श्रीमान द्वारा जिस अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत नही दिया गया उस नियम के आधार की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त मे अंकित तथ्य कि स्टाम्प विक्रेताओ के पुराने एवं स्टाक रजिस्टर उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) कार्यालय में जमा कराये जाने का प्रावधान है। इस संबध मे परिपत्रों /पत्रो की अवलोकन हेतु स्टाम्प वेन्डर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लाईसेंस जारी करने/नवीनीकरण हेतु अधिकृत अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं कलैक्टर मुद्रांक ही सक्षम अधिकारी है। उपरोक्त कथनों में श्रीमान द्वारा जिस दिनांक से उपरोक्त पत्रों की पालना में उक्त पत्रों में अंकित तथ्यों बाबत कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की, उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।

5. उक्त पत्रों की पालना में उप महानिरीक्षक स्टाम्प (मुद्रांक) द्वारा जिस दिवस कार्यवाही करना प्रारम्भ की, उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. उस दिवस की सूचना जिस दिवस श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा माह अप्रैल 2000 का विक्रय स्टाम्प रजिस्टर जिस कार्यालय व आपके कार्यालय में जमा करवाया, उसकी प्रमाणित प्रति।
7. जिले के जिन स्टाम्प वेन्डरों द्वारा जिला कोष कार्यालय में स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा करनो जिस दिवस को बन्द किया व जिस दिवस स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा करवाना प्रारम्भ किया उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. जिस नियम व जिस अधिकारी के आदेश से कोषाधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर में जमा करवाया प्रारम्भ किया व जमा करवाना बंद किया उस अधिकारी का नाम व पद व दिवस की सूचना।
9. स्टाम्प जमा कराने के दिन से दिनांक 16.06.2019 तक स्टाम्प रजिस्टर जमा कराने के कार्यो का निष्पादन करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 80 दिनांक 29.07.2019 से नोडल अधिकारी(अति. जिला कलक्टर), सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर को उपलब्ध करवाई है एवं अति. जिला कलक्टर, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई//2019/673 दिनांक 02.08.2019 से अपीलार्थी जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से प्राप्त सूचना को निम्नानुसार प्रेषित किया है :

क्र.सं.	बिन्दु	जबाव
1	प्रभारी अधिकारी (पंजीयन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 814 दिनांक 29.05.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका की प्रमाणित प्रति।	प्रभारी अधिकारी(पंजीयन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 814 दिनांक 29.05.2019 इस कार्यालय में दिनांक 04.06.2019 को प्राप्त हुआ है।
2	पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना।	श्री सुरेन्द्र सिंह असीजा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर
3	पत्र प्राप्ति से दिनांक 16.06.2019 जो–जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	पत्र पर कार्यवाही विचाराधीन है।
4	उपरोक्त पत्रांक में श्रीमान के में तथ्य कि (जिला पंजीयन अधिकारी), किन्तु आपने यह की पर भी उल्लेख नही किया है कि श्री महेन्द्र छाबडा स्टाम्प वेडन्र ने वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर आपके कार्यालय में जमा करवाया है या नही, उपरोक्त तथ्यों का जवाब श्रीमान द्वारा जिस अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत नही दिया गया उस नियम के आधार की सूचना व प्रमाणित प्रति।	इस प्रकरण के संबध में कार्यालय के पत्रांक 60 दिनांक 08.05.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
5	उपरोक्त मे अंकित तथ्य कि स्टाम्प विक्रेताओ के पुराने एवं स्टाक रजिस्टर उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन	नियमानुसार कार्यवाही जैरकार है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

	कलक्टर (मुद्रांक) कार्यालय में जमा कराये जाने का प्रावधान है। इस संबध मे परिपत्रों/पत्रो की अवलोकन हेतु स्टाम्प वेन्डर के विरू; कार्यवाही हेतु लाईसेंस जारी करने/ नवीनीकरण हेतु अधिकृत अधिकारी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं कलैक्टर मुद्रांक ही सक्षम अधिकारी है। उपरोक्त कथनों में श्रमान द्वारा जिस दिनांक से उपरोक्त पत्रों की पालना में उक्त पत्रों में अंकित तथ्यों बाबत कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की, उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।	
6	उक्त पत्रों की पालना में उप महानिरीक्षक स्टाम्प (मुद्रांक) द्वारा जिस दिवस कार्यवाही करना प्रारम्भ की, उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।	इस कार्यालय से सम्बधित नही है।
7	उस दिवस की सूचना जिस दिवस श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा माह अप्रैल 2000 का विक्रय स्टाम्प रजिस्टर जिस कार्यालय व आपके कार्यालय में जमा करवाया, उसकी प्रमाणित प्रति।	वेन्डर द्वारा वर्ष 2000 का स्टाम्प रजिस्टर जमा होना नही पाया जाता है।
8	जिले के जिन स्टाम्प वेन्डरों द्वारा जिला कोष कार्यालय में स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा करना जिस दिवस को बन्द किया व जिस दिवस स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा करवाना प्रारम्भ किया उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।	इस प्रकार का कोई रिकार्ड कार्यालय में संधारित नही है।
9	जिस नियम व जिस अधिकारी के आदेश से कोषाधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर में जमा करवाया प्रारम्भ किया व जमा करवाना बंद किया उस अधिकारी का नाम व पद व दिवस की सूचना।	इस संबध में कार्यालय में कोई रिकार्ड का संधारण नही है।
10	स्टाम्प जमा कराने के दिन से दिनांक 16.06.2019 तक स्टाम्प रजिस्टर जमा कराने के कार्यो का निष्पादन करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।	इस बिन्दु में चाही गई सूचना अस्पष्ट है।

जिला कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 02.08.2019 से जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 02.08.2020 से दिया गया उत्तर** सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर